कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1047/637/बजट/आउशि/2008 भोपाल, दि.31.3.08

प्रति,

1.क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा संभाग, म0प्र0,

2.अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा–13 (अनुदान)

3.आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल

4.समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषयः–वर्ष 2008–09 के लिए बजट आवंटन ।

उपर्युक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में **वित्तीय वर्ष** 2008–09 के लिए विभिन्न मदों में संलग्न कम्प्यूटर शीट अनुसार बजट आवंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है । कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं पालन सुनिश्चित करें :–

2. जिन मदों / शीर्ष के अंतर्गत आवंटन दिया जा रहा है । उसका आहरण एवं व्यय उसी मद के अंतर्गत सुनिश्चित करें । बजट आवंटन की जानकारी कार्यालयीन वेबसाईट (http;//www.mp.nic.in/highereducationmp) पर भी उपलब्ध है ।

3. योजना क्रमांक 0798, 6066 के आब्जेक्ट कोड 42–007 एवं योजना क्रमांक 4401के आब्जेक्ट–51 आवंटित राशि संबद्धता शुल्क के भुगतान हेतु प्रदाय की गई है

4 . व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का/भण्डार क्रय नियम एवं चिकित्सा परिचर्या नियमों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जावें एवं मितव्ययता का ध्यान रखे ।

5. **विगत वर्ष 2007–08 में यह देखने में आया कि कतिपय शा0 महाविद्यालयों ने आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं किया गया और न ही समय पर राशि समर्पण की जिससे आवश्यकतानुसार अन्य महाविद्यालयों को भी राशि आवंटित न होने से उपयोग न हो सकी और वर्ष के अंत में राशि लेप्स होने की स्थिति निर्मित हुई यह स्थिति ठीक नहीं है । अतः ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखते हुए स्वीकृत बजट आवंटन से, यदि किसी मद में बजट की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अथवा कम राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो, उक्त राशि तत्काल अपने कोषालय में, इस कार्यालय के बी0सी0ओ0 कोड 3802 में समर्पित कर, आई0डी0 क्रमांक/दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावें ।**

निरन्तर...

6. संबंधित प्राचार्य, प्रतिमाह व्यय आंकड़ों की जानकारी, अपने अग्रणी शा0 महाविद्यालय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भेजे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय प्रति तिमाई अपने अधीनस्थ शा0 महाविद्यालयों के व्यय की एकजाई जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे । गत वर्ष अतिरिक्त संचालकों द्वारा जो जानकारी प्रेषित की गई उसमें पूर्व शेष को सम्मिलित न करते हुए पृथक–पृथक जानकारी प्रेषित की गई । जिससे मिलान कार्य अवरूद्ध हुआ । अतः प्रत्येक तिमाही जानकारी में पूर्व अवशेष व्यय राशि का उल्लेख कर प्रेषित करें ।

7. अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों के व्यय आंकड़ों का मिलान, महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में दर्ज आंकड़ों से समय–समय पर संपादित कर, मय प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को जानकारी भेजे ।

8. उपरोक्त आवंटन आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर लोड किया गया है । लोड किये गये आवंटन की जानकारी/आई.डी.क्रमांक कोषालय के वेबसाइट mptreasury.org पर बी0सी0ओ0 क्रमांक 3802 पर देखी जा सकती है

संलग्न–कम्प्यूटर शीट

हस्ता/–

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0– 1048/ 637/बजट/आउशि/2008 भोपाल, दिनांक– 31.3.08
प्रतिलिपि–

1. मुख्य लेखाधिकारी, टी0सी0–21, कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. उप नियंत्रक (वित्त) आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रणाली, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल ।
5. समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता/–

(बी0एम0 बुद्यौलिया)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश